

## अजअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोलायत

मुलाराम

बनाम

सरकार

नं. 32 सन् 2021

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत धारा 136

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलसजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02-07-2021	यह प्रार्थना पत्र श्री ओमप्रकाश आचार्य एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की जावे। सम्मन जारी हों। पत्रावली आयन्द् दिनांक 07.07.2021 को पेश हो।  4 उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर	
27.7.2021	पत्रावली पेश हुई गये के रिपोर्ट दिनांक 15.7.2021 को पेश हो  4 उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर	
15.7.2021	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता एंव राज पैरोकार उपस्थित। राज पैरोकार की और से जबाब पेश हुआ। जो शामिल मिसल रहे।  प्रार्थी की संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके रोही भोजा नोखडा, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर के खाता सं. 281 में खसरा नं. 107 में तादादी 32245 हैक्टर व खसरा नम्बर 73 में तादादी 49252 हैक्टर कुल किता 2 कुला तादादी 524768 हैक्टर है। जिसमें प्रार्थी का संयुक्त रूप से 1/54 अधिमाजित हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम मुलाराम पुत्र जोराराम का अंकन है के स्थान पर प्रार्थी का नाम मुलाराम पुत्र छोटाराम का अंकन किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एंव सम्बन्धित कृषि भूमि का रिकॉर्ड तथा उसके आधार कार्ड, परिचय पत्र व राशन कार्ड के दस्तावेजो का आवलोकन किया जिसमें प्रार्थी का नाम मुलाराम पुत्र छोटाराम अंकित है। इसलिए प्रार्थी का नाम उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में शुद्धिकरण किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी एंव तदआधारित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम मुलाराम पुत्र जोराराम का नाम, शुद्धिकरण करने के आदेश दिये जाते है।  तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फेशल शुमार होकर हस्त जाब्का दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को सुनाया गया।  4 उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर	